भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3053
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

बजट का कम उपयोग

3053. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजटीय आवंटन के कम उपयोग के क्या कारण हैं क्योंकि बीएसएनएल/एमटीएनएल पुनरुद्धार योजना के लिए आवंटित निधि का केवल 6 प्रतिशत, भारत नेट के लिए 23 प्रतिशत और भारतीय रेलवे के लिए कनेक्टिविटी (सीआईओआर) योजना के लिए केवल 8 प्रतिशत ही व्यय किया गया है,

(ख) कम उपयोग के संबंध में स्थायी समिति की बार-बार की गई टिप्पणियों के बाद शुरू की गई परियोजना समय-सीमा और महत्त्वपूर्ण परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विभाग ने उक्त टिप्पणियों के बाद से कोई जोखिम-आधारित या प्रदर्शन-संबंद्ध बजट निगरानी तंत्र संचालित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में, संशोधित प्राक्कलनों (आरई) की तुलना में निधियों का उपयोग बीएसएनएल/ एमटीएनएल पुनरुद्धार योजना में 99.87%, भारत नेट में 61.46% और स्पूफ्ड इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल्स सिस्टम (सीआईओआर) की रोकथाम में 72.06% था।

भारत नेट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधियों के उपयोग 61.46% होने का कारण बीएसएनएल, जो की एबीपी के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है, के द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यान्वयन के लिए बोलियों को अंतिम रूप देने में देरी है।

(ख) भारतनेट परियोजना को देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। फरवरी-2026 तक, भारतनेट परियोजना के तहत देश में 2,17,805 जीपी को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष जीपी में नेटवर्क तैयार करने, 10 वर्षों के लिए प्रचालन और रखरखाव तथा संबंधित जीपी से मांग के आधार पर शेष ग्राम पंचायत विहिन गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) इन परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है ताकि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

****